[2024] 2 एस. सी. आर 1196:2024 आई. एन. एस. सी. 188

अनिल किशोर पंडित

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(दीवानी अपील सं. 1566/2024)

02 फरवरी 2024

[हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन के बीच में निर्धारित योग्यताओं को बदलने के लिए एक नियोक्ता की अनुमति से संबंधित मामला है।

हेडनोट्स

सेवा कानून–पद पर नियुक्ति–चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन के बीच में निर्धारित योग्यताओं में परिवर्तन–अनुमतिः

अभिनिर्धारित किया गयाः नियोक्ता चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन के बीच में निर्धारित योग्यताओं को नहीं बदल सकता है–ऐसी कोई भी कार्रवाई मनमाना होगी क्योंकि यह उन उम्मीदवारों को अवसर से वंचित करने के समान होगी जो विज्ञापन के संदर्भ में पात्र हैं, लेकिन नियोक्ता द्वारा घोषित किए जाने के बाद पात्रता मानदंडों में बदलाव के आधार पर अयोग्य घोषित हो जाएंगे–विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियुक्ति के लिए आवेदन करने के बाद, एक उम्मीदवार को उक्त विज्ञापन के अनुसार विचार करने का एक निहित अधिकार प्राप्त हो जाता है–यह विचार आवश्यक रूप से नियुक्ति में सफल नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उम्मीदवार को चयन के लिए विचार करने का अधिकार देता है। विज्ञापन की तारीख को मौजूद नियमों के अनुसार–चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन में कोई भी बाद का संशोधन, जब तक कि पूर्वव्यापी न हो, किसी उम्मीदवार को विचार से अयोग्य घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है–खंड पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने और अमीन के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति को मध्यधारा के दौरान चयन प्रक्रिया में मानदंड/योग्यता में बदलाव के आधार पर अधिक उम्र होने

के आधार पर रद्द करने में गलती की–आक्षेपित निर्णय निरस्त कर दिया गया और दरकिनार कर दिया गया–पूर्व आदेश प्रतिवादियों द्वारा पारित 01.01.2011 को ई.बी.सी. श्रेणी में उम्मीदवारा की आयु 40 वर्ष मानते हुए अपीलकर्ता को पद पर नियुक्त करने के पूर्व के आदेश को बरकरार रखा गया [धारा 8, 12, 13]

वाद कानून उद्धृत किया गया

एन. टी. देवीन कट्टी और अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग और अन्य, **(1990) 3 एस. सी. सी. 157;** मोहम्मद.सोहराब खान बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य, [2009] 2 एससीआर 907:**(2009) 4 एस. सी. सी. 555;** क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि और अन्य बनाम आर्या के. बाबू और एक अन्य, [2019] 11 एससीआर 627:**(2019) 8 एस. सी. सी. 587–संदर्भित।**

मुख्य शब्दों की सूची

विज्ञापन के बीच में निर्धारित योग्यताओं को बदलना; चयन प्रक्रिया; नियुक्ति; मनमानी; पात्रता मानदंड/योग्यता में परिवर्तन; उम्मीदवार का अधिकार।

से उधृत वाद

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः दीवानी अपील सं.–1566/2024

एल.पी.ए. सं.–1892/2015 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24/01/2017 से

यक्षों के लिए उपस्थिति

अपीलार्थी के लिएः–

सुभ्रो सान्याल, सागर रॉय, संदीप लांबा, अंबर शहबाज अंसारी, डॉ. नीलाक्षी चौधरी, कौशल किशोर, श्री/सुश्री अवनि सिंह, संजय कुमार, सुश्री आकांक्षा तिवारी, अधिवक्तागण।

प्रतिवादी के लिएः–

समीर अली खान, प्रांजल शर्मा, काशिफ इरशाद खान, नीरज शेखर, कार्तिक कुमार, श्रीमती क्षमा शर्मा, अधिवक्तागण

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित 24 जनवरी 2017 के एक आदेश से व्यथित है, जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा दायर एक रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 07 मार्च, 2013 के एक आदेश के खिलाफ प्रतिवादी सं–8 द्वारा दायर एक अंतर अदलात अपील की अनुमति दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को नियुक्त करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, यदि उसकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 2011 को अनुमेय सीमा के भीतर पाई गई थी, तो राज्य सरकार प्रतिवादी सं.–1 द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्यों का संदर्भ आवश्यक माना जाता है। 13 अक्टूबर, 2011 के ज्ञापन के माध्यम से, जिला नियोजन अधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया ने अनुबंध के आधार पर अमीनों के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया। जिला स्तर की रिक्ति के अनुसार आयु की कट ऑफ तिथि 1 जनवरी, 2011 को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कोटि, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई थी।अपीलार्थी ने 13 अक्टूबर, 2011 के विज्ञापन के अनुसार उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया। यह विवाद में नहीं है कि 1 जनवरी, 2011 को अपीलार्थी की आयु 39 वर्ष 11 महीने और 27 दिन थी। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी ने विषय विज्ञापन के संदर्भ में आयु मानदंड को अर्हता प्राप्त की। अभिलेखों से पता चलता है कि प्रधान सचिव राजस्व और भू.सु. विभाग, बिहार सरकार द्वारा बाद में जारी एक पत्र के अनुसरण में, 15 नवंबर, 2011 को कलेक्ट्रेट, पश्चिम चंपारण के नोटिस बोर्ड पर एक और नोटिस प्रदर्शित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इच्छुक पक्ष 30 नवंबर, 2011 तक आवेदन कर सकते हैं।

4. अपीलार्थी 22 जनवरी, 2012 को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ। इसके बाद, परामर्श के लिए एक योग्यता सूची तैयार की गई जिसमें उनका नाम क्रम संख्या 2 में रखा गया। जिला स्थापना ने 04 दिसंबर, 2012 को एक चयन सूची तैयार की, जिसमें उनका नाम क्रम संख्या 9 पर रखा गया था, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 8 का क्रम संख्या 11(ग्यारह) पर रखा गया था। टिप्पणी कॉलम में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी की उम्मीदवारी उसकी अधिक उम्र होने के आधार पर रद्द कर दी गई थी।

5. उपरोक्त से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने परिणामों में सुधार के लिए जिला समाहर्ता के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।अपीलार्थी ने तब उच्च न्यायालय के समक्ष 28 अगस्त 2012 को एक रिट याचिका दायर की जिसका निपटान 07 मार्च, 2013 के आदेश के माध्यम से समाहर्ता, पश्चिम चंपारण को उनकी शिकायत की जांच करने और अपीलार्थी की जन्म तिथि सही पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति के आवश्यक आदेश पारित करने के निर्देश के साथ किया गया था, अर्थात उनके मैट्रिक प्रमाण पत्र के संदर्भ में 05 जनवरी, 1971 पाये जाने पर 27 जून, 2015 को अपीलार्थी को जिला समाहर्ता पश्चिम चंपारण, बेतिया द्वारा अमीन के पद पर नियुक्त किया गया था।

6. उक्त नियुक्ति से व्यथित, प्रत्यर्थी सं. 8 खंड पीठ के समक्ष एक अंतर–न्यायालय अपील दायर किया जिसमें कहा गया था कि उन्हें रिट याचिका में अपीलार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया था और उनकी नियुक्ति इस आधार पर की गई थी कि अपीलार्थी की आयु 1 नवंबर, 2011 के प्रेस संचार के संदर्भ में अधिक थी। प्रतिवादी संख्या 8 के रुख से सहमत होते हुए, खंड पीठ ने आक्षेपित निर्णय पारित किया है। खंड पीठ की राय थी कि पूरी चयन प्रक्रिया कट ऑफ तिथि को 1 नवंबर, 2011 मानने के आधार पर की गई थी।यह देखा गया कि हालांकि जिला स्तर पर विज्ञापन ने आधिकारिक तौर पर कट ऑफ तिथि 1 जनवरी, 2011 निर्धारित की थी, लेकिन इसे पवित्र नहीं माना गया क्योंकि कट ऑफ तिथि के संबंध में पूरे राज्य में एकरूपता बनाए रखने की आवश्यकता थी।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस आधार पर आक्षेपित आदेश की आलोचना की कि खंड पीठ ने उस सार्वजनिक विज्ञापन की तारीख को नजरअंदाज करने में गलती की, जिसमें उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी, 2011 का उल्लेख किया गया था, जो यहाँ अपीलार्थी के मामले में, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से संबंधित है, 40 वर्ष थी। उन्होंने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा कट ऑफ तिथि को 1 जनवरी, 2011 से 1 नवंबर, 2011 में बदलने के बाद जारी किए गए संचार को किसी भी विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक नहीं किया गया था, जैसा कि पहले किया गया था।इसके बजाय, इसे केवल समाहर्ता के कार्यालय में सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया था, जो अपनाई जाने वाली सही प्रक्रिया नहीं थी और इसे 1 जनवरी, 2011 को जारी किए गए प्रारंभिक विज्ञापन को अधिलेखित करने के रूप में नहीं माना जा सकता था।

8. यह तय किया गया कानून है कि किसी नियोक्ता के लिए चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन के बीच में निर्धारित योग्यताओं को बदलना संभव नहीं है। इस तरह की कोई भी कार्रवाई मनमानेपन से प्रभावित होगी क्योंकि यह उन उम्मीदवारों को अवसर से वंचित करने के समान होगा जो विज्ञापन के संदर्भ में पात्र हैं। लेकिन नियोक्ता द्वारा घोषित किए जाने के बाद पात्रता मानदंड में बदलाव के आधार

पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियुक्ति के लिए आवेदन करने के बाद, एक उम्मीदवार को उक्त विज्ञापन के अनुसार विचार करने का निहित अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह विचार आवश्यक रूप से एक नियुक्ति में फलदायी नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उम्मीदवार को नियमों के अनुसार चयन के लिए विचार करने का अधिकार देता है क्योंकि वे विज्ञापन की तारीख को अस्तित्व में थे। इसे अलग तरह से रखने के लिए, विज्ञापन के संदर्भ में विचार किए जाने के लिए एक उम्मीदवार का अधिकार विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख को स्पष्ट किया जाता है। चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन में कोई भी बाद का संशोधन, जब तक कि पूर्वव्यापी न हो, किसी उम्मीदवार को विचार के क्षेत्र से अयोग्य घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है।

9. उपरोक्त संदर्भ में, यह न्यायालय **<u>एन. टी. देवीन कट्टी और अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग और अन्य</u>** में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है

> "11... .....ऐसा न हो कि कोई भ्रम हो, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक विज्ञापन के अनुसरण में किसी पद के लिए आवेदन करने पर एक उम्मीदवार चयन का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं करता है, लेकिन यदि वह पात्र है और अन्यथा प्रासंगिक नियमों और विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुसार योग्य है, तो वह चयन के लिए विचार किए जाने का एक निहित अधिकार प्राप्त करता है जो नियमों के अनुसार है क्योंकि वे विज्ञापन की तारीख को अस्तित्व में थे। उन्हें चयन के लंबित रहने के दौरान नियमों के संशोधन पर उस सीमित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि संशोधित नियम पूर्वव्यापी प्रकृति के न हों।"

10. <u>मोहम्मद सोहराब खान बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य</u> में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है जहां इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी–विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान में व्याख्याता के पद को भरने के लिए गठित चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया में मानदंड/योग्यता में बदलाव को मंजूरी नहीं दी और निम्नानुसार टिप्पणी कीः

> "25. हम इस तथ्य पर विवाद नहीं कर रहे हैं कि उम्मीदवारों के चयन के मामले में, चयन समिति की राय अंतिम होनी चाहिए, लेकिन साथ ही, चयन समिति मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती है और अपनी मध्यधारा के दौरान चयन प्रक्रिया में मानदंड/योग्यता को बदल नहीं सकती है। मेराजुद्दीन अहमद के पास शुद्ध रसायन विज्ञान में डिग्री नहीं थी और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित माना गया कि उनके पास रसायन विज्ञान में व्याख्याता के पद को भरने के लिए

आवश्यक न्यूनतम योग्यता नहीं थी, क्योंकि शुद्ध रसायन विज्ञान और औद्योगिक रसायन विज्ञान दो अलग–अलग विषय हैं।

XXX XXX XXX

27. चयन समिति चयन के चरण के दौरान, जो बीच में है, विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यता को नहीं बदल सकती थी और उस स्तर पर यह माना गया था कि औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री धारक उक्त पद को संभालने के लिए बिना किसी विशिष्ट विज्ञापन के बेहतर होगा। यह तथ्य कि विश्वविद्यालय अब शुद्ध रसायन विज्ञान के विषय से एक व्यक्ति के साथ उक्त पद का संचालन कर रहा है, इस निष्कर्ष पर भी पहुँचता है कि उस स्तर पर जब इसका विज्ञापन किया गया था, तो उक्त पद शुद्ध रसायन विज्ञान धारा से संबंधित व्यक्ति द्वारा भरा जाना था।

11. बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि और अन्य बनाम आर्या के. बाबू और अन्य में उपरोक्त निर्णय का हवाला देते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

"14. यदि मोहम्मद सोहराब खान मामले में उपरोक्त निर्णय। [मो.सोहराब खान बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय], को परिप्रेक्ष्य में रखा गया है, यह स्पष्ट है कि नियोक्ता की कार्रवाई की शुद्धता की जांच करते समय अधिसूचना में प्रकाशित योग्यता मानदंड क्या पवित्र होगा, क्योंकि यदि योग्यता मानदंडों में किया गया कोई भी बदलाव अदालत द्वारा स्वीकार किया जाता है ताकि केवल याचिकाकर्ताओं को ही लाभ हो, बिना इसे सभी योग्य व्यक्तियों के लिए खुला रखे। यह उन अन्य लोगों के साथ अन्याय करने के बराबर होगा जिनके पास ऐसी योग्यता है, लेकिन उन्होंने अपने प्रति ईमानदार होने के नाते आवेदन नहीं किया था क्योंकि जानबूझकर उनके पास अधिसूचना में मांगी गई योग्यता नहीं थी, हालांकि उनके पास अन्यथा दूसरी डिग्री थी। इसलिए, यदि अधिसूचना जारी होने के बाद योग्यता/मानदंड में कोई बदलाव होता है, लेकिन चयन प्रक्रिया के पूरा होने से पहले और नियोक्ता/भर्ती एजेंसी परिवर्तन को अपनाना चाहती है, तो नियोक्ता पर यह दायित्व होगा कि वह अधिसूचना में परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक शुद्धिपत्र जारी करे और बदले गए मानदंडों के अनुसार योग्य लोगों से आवेदन आमंत्रित करे और प्रारंभिक अधिसूचना के जवाब में प्राप्त आवेदनों के साथ इस पर विचार करे।जब न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा तो यही सिद्धांत अच्छा रहेगा।"

12. मौजुदा मामले पर वापस आते हुए, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों से सहमत होने के लिए इच्छुक हैं। पहली बार में, उत्तरदाताओं को 1 जनवरी, 2011 को उम्मीदवारों की आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि निर्धारित करते हुए एक सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने के

बाद एक बाद का संचार जारी नहीं करना चाहिए था। प्रत्यर्थियों द्वारा लिए गए प्रारंभिक निर्णय को केवल विभाग के भीतर एक आंतरिक चर्चा के आधार पर बाद में पलटने की मांग की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि उस तारीख को बदलकर एक नया नोटिस जारी किया जाए जो शुरू में 1 जनवरी, 2011 से 1 नवंबर, 2011 तक निर्धारित की गई थी। यह सार्वजनिक विज्ञापन आदि जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया था। न ही पहले के विज्ञापन को वापस लिया गया। इस बीच, प्रत्यर्थी द्वारा जारी पहले के विज्ञापन के अनुसार, अपीलार्थी पहले ही आवेदन कर चुका था।उक्त विज्ञापन के अनुसार, उनकी उम्र अनुमेय सीमा के भीतर थी। इतना ही नहीं, वह चयन सूची में शीर्ष पर थे और 27 जून, 2015 को अमीन के पद पर भी नियुक्त किए गए थे।

13. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विवादित फैसले को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। 1 जनवरी, 2011 को ई. बी. सी. श्रेणी में उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष के रूप में गणना करके अमीन के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति करने वाले प्रतिवादियों द्वारा पारित पहले के आदेश को बरकरार रखना उचित समझा जाता है।

14. बिना किसी सेवा विराम के अमीन के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति 27 जून, 2015 से बहाल कर दी गई है, जो उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख है, बिना किसी सेवा विराम के।अपीलार्थी वास्तविक वेतन को छोड़कर सभी काल्पनिक लाभों का हकदार होगा, जिसने इन सभी वर्षों में उक्त पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। विषय पद पर अपीलार्थी को फिर से नियुक्त करने वाला एक पत्र प्रतिवादियों द्वारा आज से दो सप्ताह के भीतर उपरोक्त शर्तों पर जारी किया जाएगा। प्रत्यर्थी संख्या 8 की नियुक्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है और उपरोक्त आदेशों के आलोक में इसे रद्द कर दिया जाता है।

15. वर्तमान अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों पर दी गई है।

हेडनोट तैयार किए गएः निधि जैन द्वारा

मामले का परिणामः

अपील की अनुमति दी गई।

[1] एल.पी.ए. सं.–2015 का 1892

[2] सी.डब्लयू.जे.सी. सं.– 2012 का 15685

[3] संक्षेप में 'ईबीसी'

[4] क्रमांक 446(4)/राजस्व(दिनांक 04 नवम्बर 2011)

[5] (1990)3 एससीसी 157

[6] [2009]2 एससीआर 907:(2009)4 एससीसी 555

[7] [2019]11 एससीआर 627: (2019)8 एससीसी 587

खण्डन (डिस्क्लेमर):– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।